न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री रमेश चन्द बहेडिया R.A.S

राजस्व वाद संख्या 53 / 23 (प्रा.पत्र)

GCMS No: 2023 / 187

उनवान

1. श्री लालुराम पिता तेजा जी गाडरी निवासी धारता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्रीमती रामीबाई पत्नी तेजा जी गाडरी निवासी धारता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्रीमती उर्मिला पुत्री तेजा जी गाडरी पत्नी गोवर्धन निवासी धारता हाल निवासी गढी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
4. सुश्री गगा पुत्री तेजा जी गाडरी नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती रामी बाई पत्नी तेजा जी गाडरी निवासी धारता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गणेश पुत्र बाला जी गाडरी निवासी धारता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री जाधा पुत्र बाला जी गाडरी निवासी धारता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री विक्रम पुत्र उंकारलाल गायरी उम्रनाबालिग जरिये माता श्रीमती शंकरी बाई पत्नी स्व. उंकार लाल गायरी निवासी धारता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती शंकरी बाई पत्नी स्व. उंकार लाल गायरी निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री फता पुत्र छगना गायरी (फौत) के बजाय–

6/1 श्रीमती मांगी पत्नी फता गाडरी निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

7. श्री भगा पुत्र छगना गायरी (फौत) के बजाय–

7/1 श्री चतुर्भुज पिता भगा गाडरी निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

7/2 श्री रामलाल पिता भगा गाडरी निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

7/3 श्रीमती झमकु बाई पुत्री भगा गाडरी निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

7/4 श्रीमती चंपा पत्नी भगा गाडरी निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

8. श्री बगदीराम पिता पुरा गाडरी [illegible] जिला उदयपुर राज.।
9. श्रीमती मोती बाई पत्नी पुरा गाडरी [illegible] तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.............विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित-1 श्री [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 24.02.20[illegible]

1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible] ... [illegible] तहसील [illegible] जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण की खातेदारी ... संख्या 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1416, 1462, 1463, 1717, 1718, 17[illegible] 1726, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 21[illegible] 2134, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 किता 32 रकबा 3.6800 है ... प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारो के नाम पर राजस्व रेकर्ड में सहखातेदारी ... तथा प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर उपयोग उपभोग काश्त करते चले आ रहे है। ... के हिस्से कब्जे की आराजी 2133, 2134 किता 2 रकबा 0.4400 है जो ... प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोन्धित की जा रही है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. ... 2134 किता 2 रकबा 0.4400 है में आने-जाने हेतु 10 फिट चौडा रास्ता विपक्षीगण ... आराजी न. 2129, 2130, 2131 किता 3 रकबा 0.4700 है भूमि में मौके पर अवस्थित। जो प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि में पहूंचने के लिए विपक्षीगण की खातेदारी आराजीयात 2129, 2130, 2131 में मौके पर रास्ता विद्यमान है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारों के समय से आते जाते चले आ रहें है तथा इसी रास्ते से बैलगाडी ट्रेक्टर, ट्रक आदि भी लाते ले जाते चले आ रहें है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदीप से अपने बाप दादाओं के समय से करते चले आ रहें है तथा प्रार्थीगण इसी एक मात्र रास्ते से होकर अपनी आराजीयात में आते जाते आ रहें है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों की भूमि में पहूंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी न. 2133, 2134 किता 2 रकबा 0.4400 है. पर आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 2129, 2130, 2131 में से 10 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की कलम न. 1 में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की सामलात आराजीयात है तथा संयुक्त खाते [illegible] दर्ज है तथा बंटवाडा भी नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है ना ही सहमती ली है इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। यह कि आराजी संख्या 2133 2134 में जाने हेतु पहले से ही आराजी न. 2139 कि पाली में से होते हुए आराजी न. 2136 व आराजी न. 2135 की पाली से होते हुए उक्त आराजी संख्या 2133 एवं 21[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested

से कई सौ वर्षों से आ जा रहा है और कृषि उपकरण सामान आदि ले जाते है उक्त
आराजी संख्या 2133, 2134 मे जाने के लिए आराजी संख्या 2139, 2136, 2135 मे पहले
से ही रास्ता मौजूद है जिस रास्ता से प्रार्थीगण आज दिन तक लगभग 100 वर्षों से
आते जाते है। विपक्षीगण कि आराजीयात 2131, 2130, 2129 मे प्रार्थीगण कभी भी नहीं
गये है विपक्षीगण कि आराजीयात 2131, 2130, 2129 मे प्रार्थीगण की आराजी मे जाने
के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे प्रस्तावित रास्ता
आराजी न. 2125, 2126 मे होते हुए आराजी न. 2130 और 2131 मे रास्ता बताया है
जबकि आराजी न. 2125 व 2126 के खातेदार श्रीमती कस्तुरी पत्नि नवला, लालु पिता
नवला मीणा एवं शंकर पिता नवला मीणा को उक्त प्रार्थना पत्र मे पक्षकार मुकदमा नहीं
बनाया है।

3 यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर पहूंचने के लिये प्रार्थीगण आराजी संख्या 2139,
2136, 2135 में होते हुए अपनी आराजीयात में पहूचता चला आ रहा है। आराजी संख्या
2139 प्रार्थीगण कि स्वयं कि आराजी है और आराजी संख्या 2136 एवं 2135 विपक्षीगण
की आराजीयात है यही रास्ता सबसे छोटा सुगम और सस्ता है जो पहले से मौजुद है।
अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4 प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने
जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया की राजस्व
ग्राम धारता की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 मे खाता स. 170 मे खातेदार
लालूराम, उर्मिला, गंगा पिता तेजा 3/20 रामी बाई पत्नि स्व. तेजा 1/20 नानीबाई
पत्नि सवा 1/10 फता पुत्र छगना 1/5 भगा पुत्र छगना 1/5 बगदीराम पुत्र पूरा
1/10 रहन SBBJ भीण्डर मोतीबाई पत्नि पूरा 1/10 रहन SBBJ भीण्डर विक्रम पुत्र
उंकारलाल 1/20 शंकरी बाई पत्नि स्व. उंकारलाल 1/20 जाति गायरी सा. देह
खातेदार के नाम खसरा सं. 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1416, 1462, 1463,
1717, 1718, 1719, 1720, 1726, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2044, 2045, 2046,
2047, 2048, 2127, 2133, 2134, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 कुल किता
32 रकबा 3.68 है. भूमि होकर प्रार्थी की सामलाती खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है।
यह कि राजस्व ग्राम धारता की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 67
में खातेदार गणेश पुत्र वाला 1/2 जोधा पुत्र वाला 1/2 जाति गाडरी सा. देह के नाम
खसरा सं. 1410, 1411, 1417, 1418, 1459, 1460, [illegible] 1715, 1716, 1727, 2036,
2037, 2049, 2050, 2148, 2129, 2130, [illegible] 2137, 2138, 2145,
2146, 2147 कुल किता 26 रकबा 3.[illegible] है. भूमि होकर [illegible] की सामलाती के रूप मे
दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी द्वारा सामलाती [illegible]3, 2134 किता 2 रकबा 0.
4400 है. भूमि में जाने हेतु विपक्षी की आराजी पं. 2129, 2130, 2131 किता 3 रकबा 0.
4400 है. में से 10 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने हेतु निवेदन किया है किन्तु उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बरों में ही दिए जाने से रिकार्ड अनुसार रास्ते तक सम्पर्क नहीं हो ...
राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी की खसरा संख्या 2127, 2128, 2129, 2130 ...
रास्ता प्रस्तावित किया जाना आपेक्षित है जिसकी लम्बाई चौडाई निम्नानुसार रहे...

खसरा संख्या	लम्बाई (मी.)	चौडाई (मी.)	रकबा (व.मी.)	खातेदार
2127	28	4	112	प्रार्थी की सामलाती भूमि
2128	32	4	128	विपक्षी गणेश ...
2129	16	4	64	विपक्षी गणेश ...
2130	36	4	144	विपक्षी गणेश ...
2131	24	4	96	विपक्षी गणेश ...
कुल योग	136		544	

यह कि सामलाती भूमि खसरा सं. 2133, 2134 किता 2 रकबा 0.4400 है. भूमि ... हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा एक अन्य विकल्प खसरा नं 2131, 2139 ... भी निम्नानुसार है-

खसरा संख्या	लम्बाई (मी.)	चौडाई (मी.)	रकबा (व.मी.)	खातेदार
2139	144	4	576	प्रार्थी की सामलाती भूमि
2131	6	4	24	विपक्षी गणेश, जाता की भूमि
कुल योग	150		600	

तहसीलदार भीण्डर द्वारा राजस्व ग्राम धारता में आराजी सं. 2133, 2134 के पहुंच हेतु रास्ता आराजी सं. 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 में से क्रमशः 112, 128 ... 144, 96 वर्ग मी. कुल रकबा 544 वर्ग मी. रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया ... राजस्व ग्राम धारता की डी.एल.सी. दर 720137/– है. के अनुसार जमा योग्य ... 78360/–रू प्रस्तावित किया। साथ ही विकल्प रास्ता हेतु राजस्व ग्राम धारता ... आराजी सं. 2133, 2134 के पहुंच मार्ग हेतु रास्ता आराजी सं. 2139, 2131 में से क्र... 576, 24 वर्ग मी. कुल रकबा 600 वर्ग मी. रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया ... बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता लम्बाई में अधिक है किन्तु अधिकतर हिस्सा प्रार्थी ... स्वयं की सामलाती भूमि में ही प्रस्तावित हो रहा है। राजस्व ग्राम धारता की डी.एल.सी. दर 720137/– है. के अनुसार जमा योग्य राशि 86420/– रू प्रस्तावित की गई।

5. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति होने से पुनः रिपोर्ट ... करने हेतु आदेशित किया गया जिसमें स्पष्ट करने हेतु कहा गया की प्रार्थी ... प्रार्थनागरस्त भूमि पर पहूंचने हेतु कौन से कदमी रास्ते का उपयोग किया जाता है ... करें इस पर तहसीलदार भीण्डर द्वारा पुनः रिपोर्ट पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य ... प्रकार है कि यह कि प्रार्थी द्वारा सामलाती खसरा सं. 2133, 2134 किता 2 रकबा ... 4400 है. भूमि में [illegible] हेतु [illegible] आराजी नं. 2129, 2130, 2131 किता 3 रकबा ... 4400 है. में से [illegible] हेतु निवेदन किया है किन्तु ... खसरा नम्बरों में [illegible] रास्ते तक सम्पर्क नहीं हो पायेगा ... राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी की [illegible] संख्या 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 ... रास्ता प्रस्तावित किया जाना आपेक्षित है जिसकी लम्बाई चौडाई निम्नानुसार रहेगी-

खसरा संख्या	लम्बाई (मी.)	चौडाई (मी.)	रकबा (व.मी.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested

2127	28	4	112
2128	32	4	128
2129	16	4	64
2130	36	4	144
2131	24	4	96
कुल योग	136		544

तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग लम्बाई में न्यूनतम है एवं प्रार्थी द्वारा विगत कई वर्षों से उपयोग में लिया जा रहा है तथा आराजीयात 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 में से प्रार्थी विगत कई वर्षों से रास्ते के रूप में आवागमन हेतु विपक्षी आराजीयात में से होकर आता-जाता है।

6 यह कि प्रार्थी खातेदार के प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी 2133, 2134 तक पहुंच मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग आराजी 2139, 2137 में से है जिसमें आराजी न. 2139 रकबा 0.47 है. में प्रार्थी सह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौके पर प्रार्थी खातेदार का आंशिक भाग पर ही कब्जा है जिसकी गणना निम्नानुसार है-

खसरा संख्या	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (व.मी.)
2139	144	4	576
2131	6	4	24
कुल योग	150		600

उक्त वैकल्पिक मार्ग लम्बाई में अधिकतम है एव इसमें प्रार्थी का पूर्ण रूप से आराजीयात पर कब्जा न होकर आंशिक हैं। उक्त दोनों प्रस्तावित मार्ग के क्षे. अनुसार न्युनतम मार्ग विपक्षी के आराजी 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 वाला मार्ग पाया गया जिसका उपयोग विगत कई वर्षो से कदमी रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे पहूंच मार्ग व सम्पर्क हेतु रास्ता आराजी न. 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 में से दिया प्रस्तावित किया जबकि प्रार्थी द्वारा आराजी न. 2129, 2130, 2131, में से ही रास्ता चाहा जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना आदेश 01 नियम 10 जा. दी का पेश कर अन्य खातेदारों को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर अन्य सह खातेदारों को बतौर विपक्षी के रूप में जोडे जाने के आदेश दिये गये। खातेदार नानी बाई पत्नि सवा गाडरी लाओलाद फौत होना बताया जिसके दत्तक वारिसान विपक्षी संख्या 4, 5 बताये। खातेदार भगा पुत्र छगना फौत होना बताया जिसके विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 7/1 से 7/4 बताये तथा खातेदार फता पुत्र छगना गाडरी भी फौत होना बताया जिसके विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 6/1 बताये। विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। विपक्षी संख्या [illegible]/1 से 7/4, 8, 9 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा [illegible]

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 2133, 2134 में प्रार्थीगण सह खातेदार है उक्त आराजी न. 2133, 2134 में पहूंच हेतु विपक्षी की आराजी न. 2129, 2130, 2131 में से 10 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ... रिकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी न. 2133, 2134 में आने-जाने हेतु आराजी न. ... 2128, 2129, 2130, 2131 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया जिसकी लम्बाई ... निम्नानुसार है-

खसरा संख्या	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (व.मी.)
2127	28	4	112
2128	32	4	128
2129	16	4	64
2130	36	4	144
2131	24	4	96
कुल योग	136		544

तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग लम्बाई में न्यूनतम है ... द्वारा विगत कई वर्षो से उपयोग में लिया जा रहा हैं तथा आराजीयात 2127, ... 2129, 2130, 2131 में से प्रार्थी विगत कई वर्षो से रास्ते के रूप में आवागमन हेतु ... की आराजीयात में से होकर आता-जाता हैं।

8. तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी खातेदार के प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी 2133, 2134 तक पहुंच मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग आराजी 2139, 2137, में ... जिसमें आराजी न. 2139 रकबा 0.47 है. में प्रार्थी सह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड ... परन्तु मौके पर प्रार्थी खातेदार का आंशिक भाग पर ही कब्जा है जिसकी ... निम्नानुसार है-

खसरा संख्या	लम्बाई (मी.)	चौडाई (मी.)	रकबा (व.मी.)
2139	144	4	576
2131	6	4	24
कुल योग	150		600

उक्त वैकल्पिक मार्ग लम्बाई में अधिकतम है एवं इसमें प्रार्थी का पूर्ण रूप से आराजी पर कब्जा न होकर आंशिक हैं। उक्त दोनों प्रस्तावित मार्ग के क्षै. अनुसार न्युनतम मार्ग विपक्षी के आराजी 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 वाला मार्ग पाया गया जिसका उपयोग विगत कई वर्षो से कदमी रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 2133, 2134 पर पहूंच हेतु आराजी संख्या 2139, 2136, 2135 में से पहले से ही रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से करते चले आ रहें है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी ... 2129, 2130, 2131 में से रास्ते का उपयोग कभी नहीं किया है तथा वहां कोई रास्ता मौजुद नहीं हैं। Signature Not Verified ... दार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करते है तो पाते है कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है प्रार्थीगण आराजी Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya 2133, 2134 ... पहूंचने हेतु विपक्षी की आराजी न. 2127, 2128, Date: 2025.05.19 14:43:56 IST 2129, 2130, 21Reason: SelfAttested कई वर्षो से आवागमन के रूप में करते चले रहें जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी न. 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 का उपयोग रास्ते के रूप में करते चले आ रहें हैं। अतः विपक्षी उक्त कथन को ...

करने मे असफल रहें। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता आराजी न 2125, 2126 मे होते हुए आराजी न 2130, 2131 मे रास्ता बताया है जबकि आराजी न 2125, 2126 के खातेदार श्रीमती कजोड़ी पत्नि नन्दा मीणा, लालु पिता नवला मीणा, शंकर पिता नवला मीणा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस संदर्भ मे जब हम प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते है तो पाते है कि प्रार्थी द्वारा आराजी न 2129, 2130, 2131 मे से रास्ता दिए जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा आराजी न 2125, 2126 में से कभी रास्ता नहीं चाहा जिससे आराजी न 2125, 2126 के खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: विपक्षी उक्त कथन को साबिक करने में असफल रहें।

9. प्रकरण मे विपक्षी सख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर पहुंच हेतु आराजी न 2139, 2136, 2135 मे होते हुये प्रार्थी अपनी आराजीयात तक पहुंचता चला आ रहा हैं। आराजी न 2139 प्रार्थीगण की स्वय की आराजी है तथा यह रास्ता सबसे छोटा व सुगम रास्ता है। इस संदर्भ मे जब हम तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करते है तो पाते है कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है की प्रार्थनाग्रस्त आराजी न 2133, 2134 पर पहूंच हेतु आराजी न 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 मे से प्रस्तावित रास्ता लम्बाई मे न्युनतम है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता जो आराजी न 2139, 2137 में से प्रस्तावित किया गया लम्बाई मे अधिकतम हैं तथा आराजी न 2139 में प्रार्थीगण सह खातेदार है परन्तु मौके पर प्रार्थीगण का आंशिक भाग पर कब्जा हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर पहूंच हेतु प्रस्तावित रास्ता जो आराजी न 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 में से प्रस्तावित किया गया हैं न्युनतम रास्ता है तथा उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा कई वर्षो से कदमी रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं। अत: विपक्षी संख्या 1, 2 अपने कथन को साबिक करने में असफल रहें हैं। विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

10. अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रसत आराजी न 2133, 2134 पर पहूंच हेतु विपक्षी की आराजी में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थनाग्रस्त [illegible] पहूंच हेतु आराजी न. 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 में से कुल 544 [illegible] का रास्ता प्रस्तावित किया तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश किया [illegible] जिसकी [illegible] सी दर 720137/- है बताई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त रास्ता [illegible] जिसका उपयोग प्रार्थीगण द्वारा कई वर्षों से करना बताया। तहसील[illegible] भीण्डर द्वारा अन्य प्रस्तावित रास्ता लम्बाई में अधिक होना बताया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) में स्पष्ट प्रावधान है की काश्तकार को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु न्युन्तम रास्ता दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना [illegible]
मे आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता [illegible]
जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) [illegible]
काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान [illegible] अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता पटवार हल्का धारता [illegible] भीण्डर की आराजी नम्बर 2133, 2134 कुल किता 2 रकबा 0.4400 है. [illegible] जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 2127 मे से (ल.xचौ.) 28x4=112 वर्ग मीटर [illegible] 2128 में से (ल.xचौ.) 32x4=128 वर्ग मीटर का रास्ता, 2129 में से (ल.xचौ.) 16x4 [illegible] मीटर का रास्ता, 2130 में से (ल.xचौ.) 36x4=144 वर्ग मीटर का रास्ता, 2131 [illegible] xचौ.) 24x4=96 वर्ग मीटर का रास्ता कुल 544 वर्ग मीटर का रास्ता प्रस्तावित [illegible] नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस [illegible] रास्तें मे आने वाली भूमि की डीएलसी दर 720137/— अक्षरे सात लाख बीस हजार [illegible] सौ सैतीस रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत [illegible] रूपये का दुगुना 78360/— रूपयें इठियोत्तर हजार तीन सौ साठ रूपये की राशि [illegible] से वसूल कर विपक्षीगण को हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। [illegible] नानी बाई पत्नि सवा गाडरी को लाओलाद फौत होना बताने तथा खातेदार [illegible] छगना गाडरी, भगा पुत्र छगना गाडरी फौत होना बताने से इनके विधिक वारिसान [illegible] जांच कर क्षतिपुर्ति दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षीगण को अदा करने के पश्चात [illegible] भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते [illegible] प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग [illegible] सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला [illegible] जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना [illegible] तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested